निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या — 33/2020 (रे0वाद)
दायर दिनांक — 17/09/2020
निर्णय दिनांक — 28/01/2026

अनवान

1. मनोहरलाल मुतबन्ना प्यारचन्द जाति पारीक ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. तेजमल पिता सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. भैरूलाल पिता छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. गोविन्द पिता छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सुनिल पिता छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. सुमा पुत्री छगनलाल पत्नी मनिष जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया हाल निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. नरेश पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. खेमराज पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. दिनेश पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. शौबाक पुत्री शंकरलाल पत्नी सम्पत जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया हाल निवासी वाकली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
10. मंजु पुत्री शंकरलाल पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया हाल निवासी नान्दसा के तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा
11. कमला पुत्री शंकरलाल पत्नी जमनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया हाल निवासी नान्दसा के तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

12. सोहनी देवी पत्नी शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– श्रीमती चंदा तिवारी, अधिवक्ता
वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 का प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरिया पटवार सर्कल कालेसरिया तह० देवगढ जिला राजसमन्द की सीमा में स्थित आराजियात वर्तमान खाता स0 182 / 186 खसरा नं0 417 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, खसरा नं0 418 रकबा 1 बिधा 18 विस्वा खसरा नं0 426 रकबा 1 बिघा 7 विस्वा खसरा नं0 449 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खसरा नं0 451 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा खसरा नं0 452 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा खसरा नं० 588 रकबा 18 विस्वा, खसरा न. 607 रकबा 1 बीघा खसरा न. 867 / 417 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा कुल किता 9 रकबा 15 बिघा 13 विश्वा लगानी 55 रूपये 09 पैसा होकर स्थित है। उक्त कुलिया आराजी में 1 / 4 हिस्सा है एव उसी हिस्से अनुसार वादी का व प्रतिवादीगण सख्या 1 श्री तेजमल का 1\4 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 से लगायत 5 तक 1 / 4 हिस्सा और प्रतिवादीगण सख्या 6 से लगायत 12 तक का 1 / 4 हिस्सा है उसी अनुसार मौके पर कब्जा कास्त है। ग्राम कालेसरिया पटवार हल्का कालेसरिया के खाता सख्या 183 / 185 खसरा न. 448 रकबा 4 विस्वा गैर मु० आराजी चाह० में कुलिया आराजी चाह में वादी व प्रतिवादीगण का 2 / 3 हिस्सा है उसमें से मुझ वादी का 1 / 4 हिस्सा है प्रतिवादीगण सख्या 1 श्री तेजमल का 1 / 4 हित्त्सा प्रतिवादी सख्या 2 से लगायत 5 तक 1 / 4 हिस्सा और प्रतिवादीगण सख्या 6 से लगायत 12 तक का 1 / 4 हिस्सा है उसी अनुसार मौके उक्त आराजी चाह से उपरोक्त आराजियात कि सिंचाई होंती चली आ रही है। व राजस्व रेकार्ड में भी उसी अनुसार घोषणा कराई जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजियात पूर्व में सम्वत 2057 से 2060 कि जमाबन्दी में सम्पुर्ण आराजियात मेरे पिता श्री प्यारचन्द्र पिता श्री दौलतराम के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी क्योकि प्यारचन्द्र श्री दौलतराम जी का सबसे बडा लडका था इस कारण सम्पुर्ण आराजियात दौलत राम कि प्यार चन्द्र के नाम दर्ज हो गई अन्य भाईयों का हिस्सा दर्ज होने से रह गया। उसके बाद स्वर्गीय श्री दौलतराम जी के तीनो पुत्र श्री प्यारचन्द्र श्री सोहन लाल श्री छगन लाल, श्री शंकर लाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुई एवं श्री शंकर लाल का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारीसान के नाम राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त आराजियात दर्ज हुई। मौके पर श्री प्यारचन्द्र के देहान्त के बाद सम्पुर्ण आराजियात श्री

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

दौलतराम के चारो वारीसान के नाम कमशः 1 / 4– 1 / 4 हिस्से में आप में आई एव उन्ही हिस्से सुनसार वादी एव प्रतिवादी काबिज है।प्यारचन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 27.05.2003 को हो गया एवं मुझ वादी व प्रतिवादीगण को बिना किसी सुचाना दिये हल्का पटवारी द्वारा श्री प्यारचन्द्र को ला औलाद बताते हुए वादग्रस्त आराजियात सम्पुर्ण स्व. श्री प्यारचन्द्र के तीनो भाई श्री सोहन लाल श्री छगन लाल श्री शंकर लाल व उनके वारीसान के नाम आराजियात राजस्व रेकार्ड 1/3 हिस्से अनुसार दर्ज हो गई जबकि मैं वादी स्व. श्री प्यारचन्द्र का दत्तक पुत्र हु और उन्होने मुड़ा अपने जीवनकाल में ही नाबालिग अवस्था में समाजिक रिति रिवाज से मौतबीरो के समक्ष गोद लेकर अपना पुत्र बना लिया एव समस्त दस्तावेजी रेकार्ड में श्री प्यार चन्द्र ने मुझ पुत्र माना दत्तक ग्रहण सामारोह भी सामाजिक रश्म अनुसार सम्पन हुआ मेरा प्यार चन्द्र के राशन कार्ड में बतौर पुत्र नाम उल्लेखित है श्री प्यार चन्द्र के स्वर्गवास के बाद समस्त सामाजिक काज करीयावर रश्म रिवाज मेरे द्वारा बतौर पुत्र सम्पादीत किये गये जिसकी फोटो प्रति व स्व. श्री प्यारचन्द्र के स्वर्गवास कि शौक पत्रिका इसी वाद पत्र के साथ सलग्न है। श्री प्यारवन्द्र का दत्तक पुत्र हु जिसके प्रमाण में राशन कार्ड, शौक पत्रिका, मेरा आधार कार्ड, मेरा पेन कार्ड एवं मेरे भामाशाह कार्ड व आर सी वगैरा सभी कि फोटो प्रति वाद पत्र के साथ सलग्न कि जा रही है। वाद ग्रस्त आराजियात में मुझ वादी का कुलिया आराजियात में 1 / 4 हिस्सा व आराजि चाह में 3 / 4 में से मुडा वादी का 1 / 4 हिस्सा मुझवादी के नाम राजस्य रेकार्ड में अंकन कि जाने कि घोषणा कि जावे। आराजी चाह में प्रतिवादीगण के अलाव सह खोतेदार श्री रतन लाल प्रेम चन्द्र पिता श्री मोडी राम, शिव प्रसाद पिता श्री ईश्वर चन्द्र का 1 / 6 हिस्सा, जगदीश पिता श्री मिठा लाल, मदन लाल पिता श्री रूप चन्द्र का 1 / 6 हिस्सा है उक्त हिस्से में अन्य चाह खातेदारे से हिस्सा कोई प्रभावित नहीं हो रहा है इसलिए मुकदमा अनवान में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त आराजियात 1 / 4 व आराजी चाह में 3 / 4 में से 1 / 4 कि घोषणा का अंकन राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नहीं है। इसका पता मुझ राजस्व रेकार्ड को देखने से दिनांक 01.02.2020 को हल्का पटवारी से मालुम हुआ तब मैने प्रतिवादीगण को कहा कि मुझ वादी का नाम माफिक 1 / 4 हिस्सा दर्ज नहीं है तो प्रतिवादीगण ने सदा टालम टोल किया एव दिनांक 15.02.2020 को प्रतिवादीगण ने सफा कहा कि अगर तुम्हारानाम राजस्व रेकार्ड में माफिक हिस्स व कब्जे 1 / 4 के राजस्व रेकार्ड में अंकन कराना चाहते है तो तुम कानूनी कार्यवाही करो हमें कोई ऐतराज नहीं है। दिनाक 18.02.2020 को हल्का पटवारी से नकल लेकर माननीय न्यायालय में उपरोक्त घोषणा का वाद प्रस्तुत करना पड़ा क्योकि मुझ वादी का नाम 1 / 4 हिस्सा दर्ज नहीं है इसी कारण यह वह हेतुक उत्पन्न हुआ है। जो निरन्तर जारी है। वादी निम्न अन्तिम दाद चाहते है कि ग्राम कालेसरिया पटवार सर्कल कालेसरिया तह० देवगढ जिला राजसमन्द की सीमा में स्थित आराजियात वर्तमान खाता स० 182 / 186 खसरा नं० 417 रकबा 1

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

बीघा 9 विस्वा, खसरा नं0 418 रकबा 1 बिघा 18 विस्वा खसरा नं० 426 रकबा 1 बिघा 7 विस्वा खसरा नं0 449 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खसरा नं0 451 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा खसरा नं0 452 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा खसरा नं0 588 रकबा 18, खसरा न. 607 रकबा 1 बीघा खसरा न. 867/417 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा कुल किता 9 रकबा 15 बिघा 13 विस्वा लगानी 55 रूपये 09 पैसा होकर स्थित है। उक्त कुलिया आराजी में 1/4 हिस्सा है एव उसी हिस्से अनुसार वादी का व प्रतिवादीगण सख्या 1 श्री तेजमल का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 से लगायत 5 तक 1/4 हिस्सा और प्रतिवादीगण सख्या 6 से लगायत 12 तक का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कराने की घोषणा फरमाई जावे व इसी आशय की डिकी प्रदान कराई जावे। ग्राम कालेसरिया पटवार हल्का कालेसरिया के खाता सख्या 183/185 खसरा न. 448 रकबा 4 विस्वा गैर मु० आराजी चाह० में कुलिया आराजी चाह में वादी व प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा है उसमें से मुझ वादी का 1/4 हिस्सा है प्रतिवादीगण सख्या 1 श्री तेजमल का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 से लगायत 5 तक 1/4 हिस्सा और प्रतिवादीगण सख्या 6 से लगायत 12 तक का 1/4 हिस्सा है उसी अनुसार मौके उक्त आराजी चाह का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कियो जाने कि घोषणा व इसी आश्य कि डिकी जारी फरमायी जाये।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 02 से 12 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

वादपत्र के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु वादपत्र के आधार पर अवधारणीय बिन्दु निर्धारण किया गयाः–

1. वादी ग्राम कालेसरिया पटवार हल्का कालेसरिया के खाता संख्या 182/186 खसरा संख्या 417, 418, 426, 449, 451, 452, 588, 607, 867/417 कुल किता 09 कुल रकबा 15 बीघा 09 विस्वा भूमि एवं खाता संख्या 183/185 खसरा संख्या 448 कुल किता 01 कुल रकबा 04 विस्वा भूमि में वादी प्यारचन्द का दत्तक पुत्र होने से 1/4 हिस्सा का खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है।

उक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने हेतु वादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में PW-1 मनोहरलाल मुतबन्ना प्यारचन्द, PW-2 मदनलाल पिता रूपलाल के शपथ पत्र पेश किये गए।

साक्ष्य एवं विधि उक्त बिन्दु को तय करने के लिए उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने योग्य अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

1. नामान्तरणकरण संख्या 700 ग्राम कालेसरिया का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण प्रति के अनुसार "प्रशासन आपके द्वारा अभियान" 2004 के अन्तर्गत प्यारचन्द पिता दौलतराम की मृत्यु पर विरासती नामान्तरकरण दर्ज किया गया। शिविर में नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई जहां पंचायत सदस्यों के साथ–साथ आमजन भी होते हैं और तत्सगय नामान्तरण पर ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई ऐसा पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
2. वादी द्वारा शोक पत्रिका की प्रति पेश की है। वादी द्वारा स्वयं को प्यारचंद का दत्तक पुत्र होना बताकर धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्यारचन्द की भूमि में घोषणा का दावा किया गया है।

दत्तक ग्रहण के लिए हिन्दु दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 के तहत उक्त अधिनियम में विधिमान्य दत्तक की शर्ते एवं प्रावधान निहित है।

प्रश्नगत प्रकरण में दत्तक से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेज/पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। और ना ही संबंधित कुटुम्बजन से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। केवल मौखिक कथनों एवं राशनकार्ड, आधारकार्ड में पिता के नाम में प्यारचन्द का नाम लिख देने मात्र से कोई दत्तक पुत्र नहीं हो जाता इसके लिए ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अपेक्षित होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप में यह पाता हूँ कि वादी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपने वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व नही किये जाने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

मनोहरलाल व अन्य बनाम तेजमल व अन्य
33 / 2020 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–28 / 01 / 2026

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– मोहकम सिंह सिनसिनवार आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :–33 / 2020

अनवान

1. मनोहरलाल मुतबन्ना प्यारचन्द जाति पारीक ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. तेजमल पिंता सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. भैरूलाल पिता छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. गोविन्द पिता छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सुनिल पिता छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. सुमा पुत्री छगनलाल पत्नी मनिष जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया हाल निवासी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. नरेश पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. खेमराज पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द .
8. दिनेश पिता शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. शौबाक पुत्री शंकरलाल पत्नी सम्पत जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया हाल निवासी वाकली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
10. मंजु पुत्री शंकरलाल पत्नी भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया हाल निवासी नान्दसा के तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा
11. कमला पुत्री शंकरलाल पत्नी जमनलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया हाल निवासी नान्दसा के तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा
12. सोहनी देवी पत्नी शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– श्रीमती चंदा तिवारी, अधिवक्ता

दावा वादी डिक्री किया जाता है वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व नही किये जाने से अस्वीकार किया जाता है।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़ जिला राजसमन्द